([illegible] 28)

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बालचन्द बनाम शरदीचन्द

किस्म मुकदमा वाद नं0 35 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस पर जारी हुए
25/03/2026	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 01 से 04 के नोटिस प्रोसेस पुन: भरकर पेश करे तो जारी हो। पत्रावली वास्ते बइंतजार नोटिस प्रोसेस प्रतिवादी सं 01 से 04 जरिये रजि० AD दिनांक 16/04/2026 को पेश हो। [signature] उ.प्र.अ.	
16/04/2026	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत था। नियत तिथि पर वादी/अधिवक्ता वादीगण न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ तथा नही किसी प्रकार का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि वादीगण द्वारा अपने वाद की समुचित पैरवी नही की जा रही तथा वह अपने वाद के प्रति उदासीन है। अत: न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण अपने वाद को आगे बढ़ाने मे इच्छुक नही है। अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र धारा 53, 88, 188, 183 रा०का० एक्ट के अन्तर्गत वादीगण की अनुपस्थिति एवं वाद की पैरवी न करने के कारण इसी स्तर पर अदम तामील व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	